

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6

श्री लाल सिंह पारगी, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय पाटनवाधरा, आनन्दपुरी जिला बांसवाड़ा जिनकी जन्मतिथि 02.05.1958 है तथा इनका दिनांक 28.09.2017 को राजकीय सेवा में रहते हुवे स्वर्गवास हो चुका है। अतः श्री लाल सिंह पारगी की राजकीय सेवाएँ दिनांक 28.09.2017 से समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उप नामित श्री लाल सिंह पारगी, के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

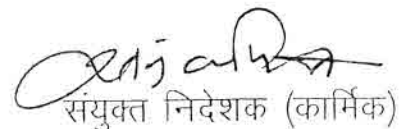
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-5-6-8/प्रपत्र-6/लालसिंह/2017/75 दिनांक : 20/11/18

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, उदयपुर
2. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि निभाग, बांसवाड़ा
3. संयुक्त निदेशक (माध्यमिक-मुख्यालय) उदयपुर संभाग, उदयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-मुख्यालय), बांसवाड़ा
5. आश्रित श्री लाल सिंह पारगी, प्रधानाचार्य द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-मुख्यालय), बांसवाड़ा
6. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय पाटनवाधरा, आनन्दपुरी जिला बांसवाड़ा
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. विजांच/वरिष्ठता अनुभाग/प्रभाग प्रभारी बी-1/11 कार्यालय हाजा
9. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर